

JAIPUR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LIMITED

Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur - 302015

EPABX No. : 91-0141-2713666-69, Fax No. : 0141-2711075

Email : jaipurdairypurchase@gmail.com www.jaipurdairy.com

निविदा संशोधन सूचना

फ्रेश उत्पाद के लिए आमंत्रित की गयी ई- निविदा में दिनांक 08/07/2024 को हुई प्री बिड मीटिंग के दौरान प्राप्त सुझावों के अवलोकन उपरांत कमेटी सदस्यों के द्वारा निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाना प्रस्तावित है :-

क्र संख्या	प्री बिड मीटिंग में दिए गए सुझाव	निविदा में इससे सम्बन्धित शर्त	कमेटी सदस्यों का मत एवं संशोधन
1.	अनुभव एक वर्ष की जगह 2 वर्ष करवाने के लिए को-ऑपरेटिव डेयरी में अनुबन्ध अवधि पूर्ण नहीं होने के कारण अनुबन्ध पूर्ण करने योग्य निविदादाता को ही मान्यता दी जानी चाहिए।	Upload work experience certificate for one year of Co-operative Union for Milk & Milk Products distribution work.	निविदा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसे निविदा में यथावत रखा जाना प्रस्तावित है।
2.	सप्लाई वाहन मॉडल सभी टेण्डरों 2018 के स्थान 2015 पूर्व निविदा अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए।	The agreement of distribution can be repudiated at any time if the vehicle is not found conforming to the specifications prescribed or is not in fit condition. The vehicle should not be older more than 2018.	निविदा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगाए जाने वाले वाहन का मॉडल 2014 किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही वाहन की दक्षता/ उपयुक्तता का वार्षिक प्रमाण पत्र राज्य सरकार के नियमों के अनुसार प्रस्तुत करना होगा एवं संघ के यातायात अनुभाग से फिटनेस एवं इंसुलेशन का हर 6 महीने में परिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। लगाए जाने वाले वाहनों पर राज्य सरकार द्वारा जारी मापदंड एवं नियम लागू होंगे।
3.	जीएसटी टर्नओवर फ्रेश उत्पाद वितरण कार्य के लिए 75 लाख सालाना का किया जाना चाहिए।	Turnover of any one year should be minimum Rs. 2.50 Lacs as per GST return submitted (Financial Year 2023-24 onwards). The firm turnover must be 2.50 Lacs which should be supported by GST return & Balance Sheet as well as P&L account. His financial status may also be supported with bank statement for six months	निविदा में टर्नओवर 10 लाख किया जाना प्रस्तावित है जिससे निविदा में प्रतिष्ठित फर्मों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके क्योंकि सीधा मामला आम जान से जुड़ा हुआ है एवं दूध की सप्लाई एक अति आवश्यक सेवा में शामिल कार्य है।
4.	यह कि पार्टी द्वारा वर्तमान कार्यरत जोन में पुनः कार्य करने की स्थिति में बैंक गारन्टी को विस्तारित (Bank Guarantee Extension) करवाकर नयी निविदा/अनुबन्ध में निहित माना जाना चाहिए। यदि नयी बैंक गारन्टी की अपेक्षा में पुरानी बैंक गारन्टी की राशि कम है तो शेष बैंक गारन्टी राशि की बैंक गारन्टी अतिरिक्त जमा करानी चाहिए।	The successful applicant / bidder will have to execute an agreement in the prescribed form and deposit cash security and Bank Guarantee (valid for (30 months) 2.5 years) in a prescribed manner as specified in appendix A.	इसे निविदा में यथावत रखा जाना प्रस्तावित है।
5.	यदि किसी वितरक पर किसी वित्त वर्ष में चेक अनादरित होने पर शास्ति	Existing Distributor whose five cheques are dishonored because of distributor fault &	Tender committee recommends that to enhance competition in tender

Handwritten signature and date: 23.07.24



	आरोपित कर दी है। तत्पश्चात अनुबंध अवधि समाप्त होने पर अदेय प्रमाण पत्र संघ द्वारा जारी कर दिया है। तो वह वितरक पुनः आगामी निविदा में भाग लेने से वंचित नहीं किया जा सकता शास्ति व निविदा में अनुमत नहीं करना एक साथ दोनों शास्ति नहीं हो सकती अन्यथा अदेय प्रमाण पत्र जारी होने पर कोई भी वितरक निविदा प्रक्रिया में डिबार नहीं किया जा सकता न ही RTPP कि तहत उसे वंचित किया जा सकता है।	penalty imposed by Jaipur Dairy in any one financial year will not be allowed to participate in this tender since Financial Year 2019-20 onwards.	this condition is deleted because in this tender we are taking payment in advance via NEFT/IMPS.
6.	टेण्डर शर्तों में सुरक्षा राशि एवं बैंक गारन्टी पूर्व प्रचलित नियम शर्तानुसार (RTPP) की गणनानुसार रखी जावे क्योंकि वर्तमान में जारी निविदा में अपेण्डिक्स में जो बैंक गारन्टी, सुरक्षा राशि एवं खाली क्रेटों की गणना नहीं कर अनुमानित रूप से की गयी है। कृपया पूर्व की भांति ही बैंक गारन्टी एवं सुरक्षा राशि निर्धारित की जानी चाहिए।	Mentioned in as per appendix-A.	इसे निविदा में यथावत रखा जाना प्रस्तावित है।
7.	शर्त संख्या-85 फ्रेश उत्पाद में दूध चोरी के सम्बन्ध में पूर्व की भांति गेटपास से अतिरिक्त उत्पाद की राशि का 25 गुणा शास्ती वसूली का प्रावधान ही रखा जाय क्योंकि गलती दोनों तरफ से होती है सुपरवाइजर एवं ड्राईवर।	If staff of Distributor's firm is found guilty of theft of milk & milk products a penalty of 11,000 would be imposed along with penalty of 25 times of the value of milk & milk products would be imposed on distributor firm after approval from competent authority.	This condition will be read as "If staff of Distributor's firm is found guilty of theft of milk & milk products a penalty of 11,00 would be imposed along with penalty of 30 times of the value of milk & milk products would be imposed on distributor firm after approval from competent authority.
8.	शर्त संख्या-86 फ्रेश उत्पाद में नयी शर्तों में आंशिक संशोधन किया जाय कि किसी भी कर्मचारी से झगड़ा फसाद की घटना की पहले पूर्ण निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। तत्पश्चात जो भी दोषी पाया जाय उसे दण्डित किया जाना चाहिए।	Condition 74. Any person driver/ worker/ representative misbehaves with security, Jaipur Dairy staff in Jaipur Dairy it will be view seriously and suitable penalty can be imposed on Transporter/ Distributor, and gate entry can be banned. Condition 86. If distributor or his staff is found guilty of misbehaving with staff of Jaipur Dairy a penalty of Rs.5,000 would be imposed after enquiry for first time. Penalty of 11,000 would be imposed for second time & distributor's firm would be suspended after enquiry if found faulty at third time after approval from competent authority.	Condition no. 74 is delated and replaced with condition no. 86. Condition no. 86 will be read as "If distributor or his staff is found guilty of misbehaving with staff of Jaipur Dairy legal action may be taken against firms' staff after enquiry and approval of competent authority.
9.	शर्त संख्या-87 एवं 88 फ्रेश उत्पाद में नयी शर्तों का प्रावधान रखा गया है कि यदि "Distributor have to do time	87. Distributor have to do time bounded supply of milk & milk products. If late supply is done at booth/shop agency/parlour with	Now condition no. 87 will be read as "Distributor have to do time bounded supply of milk & milk products. If late supply is done at

Jaipur
23-07-24




	<p>bounded supply of milk & milk products. If late supply is done at booth/shop agency/parlour with reference to dedicated time of supply decided by Jaipur Dairy. Penalty of 2 times of value of milk & milk products would be imposed on distributor after enquiry approval of competent authority." में यह शर्त सही नहीं है कि कोई भी वितरक यह नहीं चाहता है कि उसके आवंटित कार्यक्षेत्र में सप्लाई देरी से हो। सप्लाई देरी से होने के कई कारण हो सकते हैं यथा वाहन में तकनीकी खराबी, दुर्घटना, आपातकालीन परिस्थिति, जयपुर दुग्ध संघ से वाहन का देरी लोड होकर सप्लाई के लिए रवाना होना इत्यादि कारण से आवंटित क्षेत्र में सप्लाई देरी से की है इसके लिए उससे स्पष्टीकरण मांगा जाय। इसके लिए उसको प्रथम एवं द्वितीय नोटिस दिया जाकर यदि उसकी कार्यशैली में सुधार नहीं किया जाय तो पूर्व निविदा अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए ना कि उस पर उत्पादों की दो गुना शास्ती वसूली जाय।</p>	<p>reference to dedicated time of supply decided by Jaipur Dairy. Penalty of 2 times of value of milk & milk products would be imposed on distributor after enquiry approval of competent authority. 88. If any complaint is received from booth/shop agency/parlour regarding late supply or not supply of milk & milk products a penalty of Rs.1,100 would be imposed for first time. Penalty of 2,100 would be imposed for second time & Penalty of 5,100 would be imposed for third time after investigation of complaint if firm found faulty.</p>	<p>booth/shop agency/parlour with reference to dedicated time of supply decided by Jaipur Dairy. Penalty of would be imposed on distributor after enquiry approval of competent authority". Now condition no. 88 will be read as "If any complaint is received from booth/shop agency/parlour regarding late supply or not supply of milk & milk products penalty would be imposed after investigation of complaint if firm found faulty.</p>
10.	<p>शर्त संख्या 90 फ्रेश उत्पाद में नयी शर्तों में आंशिक संशोधन किया जाय कि किसी भी वितरण स्टाफ द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों का खुले में सेवन कर गन्दगी फैलाई जाती है अथवा डेयरी कार्य में बाधा उत्पन्न की जाती है तो जांच उपरान्त दोषी पाये जाने पर उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जानी चाहिए।</p>	<p>If staff of distributor is found consuming prohibiting substance in Jaipur Dairy premises a penalty of Rs.1,100 would be imposed for first time. Penalty of 2,100 would be imposed for second time & Penalty of 5,100 would be imposed for third time. If staff found consuming prohibit substance (Cigarette, Tambacco, Weed etc.) fourth time. Staff would be terminated. If staff found consuming prohibit substance fifth time. Distributors firm would be suspended after approval from competent authority.</p>	<p>Now condition no. 90 read as " If staff of distributor is found consuming prohibiting substance in Jaipur Dairy premises a penalty of Rs.200 would be imposed and action may be taken as per COTPA Act 2003 after approval of competent authority.</p>
11.	<p>शर्त संख्या-91 फ्रेश उत्पाद में जो नयी शर्तों का प्रावधान रखा गया है। उससे वाहन चालकों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि ड्राइवर मिलना इतना आसान नहीं है क्योंकि हर किसी की एक मजबूरी होती है। इस शर्त में आंशिक संशोधन किया जाय कि यदि वितरक द्वारा वाहन चालक बदला जाता है तो उसके लाइसेंस एवं पहचान पत्र की जानकारी</p>	<p>The distributor will have to submit a copy of the driver's license. If the driver is changed, distributor will have to submit his license copy and take approval. If a driver is found different from authorized one, a penalty of Rs.2,100 will be imposed.</p>	<p>यदि वितरक द्वारा चालक बदला जाता है तो 24 घंटे के अंदर अनुभाग अधिकारी को इसकी जानकारी कारण सहित लिखित में उपलब्ध करनी होगी एवं 2 दिन के अंदर चालक का लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा अनयथा इस सम्बन्ध में सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरांत कार्यवाही की जा सकती है </p>

Jaipur
23/07/24

	विभाग अधिकारी को एक अथवा दो दिन पूर्व देनी होगी। यदि आकस्मिक अथवा आपातकालीन स्थिति होती है तो इसकी सूचना परिस्थिति अनुसार सम्बन्धित विभाग अधिकारी को देनी चाहिए।		
12.	जैसा कि फ्रेश उत्पाद सिटी टेण्डर फॉर्म में शर्त संख्या 81 में नयी शर्त में प्रावधान रखा गया है कि "टेण्डर के बाद भी सभी क्षेत्रों में समय पर आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इन क्षेत्रों को काटकर नये क्षेत्र बनाये जायेंगे। इस पर जयपुर दुग्ध संघ का पूर्ण अधिकार होगा।" यह शर्त सरासर गलत है कि यदि संघ द्वारा निविदा में उत्पादों की मात्रानुसार जिस क्षेत्र का कार्यावंटन किया गया है तथा उसी अनुसार उनके द्वारा सुरक्षा राशि एवं बैंक गारन्टी जमा करायी गयी है तथा उसकी मेहनत के अनुसार ही उस क्षेत्र में वितरण कार्य मन लगाकर करेगा। यदि आप द्वारा कार्यावंटन उपरान्त क्षेत्रों का विभाजन किया जाता है तो कोई भी वितरक रुचि से अपने आवंटित कार्यक्षेत्र में सैल बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा।	In order to ensure timely supply arrangements in all areas, even after the tender, new areas will be created by cutting out these areas. Jaipur Milk Union will have full rights over it.	Condition no. 81 will be read as " If there is an increase in the quantity of milk in any zone, then based on the quantity as per attached appendix in tender documents, it will be the full responsibility of the concerned distributor to supply it in all the areas of the allotted zone by deploying additional vehicles for the increase in supply. If the distributor refuses to supply in the entire area of the allotted zone by employing additional vehicles, then work would be allotted to another party only after getting written consent from him. Jaipur Milk Union will have full rights over it and decision of MD JMU binding on this.
13.	आप द्वारा निर्धारित वाहन से सप्लाई नहीं होने पर शास्त्री आरोपित करने के बारे में लीखा हमारे द्वारा निर्धारित वाहन से ही सप्लाई किया जाता है मगर आपात काल में वाहन खराब होने एवं दुर्घटना ग्रस्त होने पर अचानक वाहन की व्यवस्था तत्काल करनी होती है अगर ऐसा नहीं करने पर संघ कि सप्लाई व्यवस्था पर ही प्रभाव पड़ेगा।	Distributor is bound to supply milk & milk products through contracted vehicle only. Vehicle would be checked randomly and If found supplying from vehicle other than contracted vehicle, a penalty of Rs.11,000 would be imposed for first time. Penalty of Rs.21,000 would be imposed for second time & distributor's firm would be suspended if found faulty at third time after approval from competent authority.	यदि वितरक द्वारा किसी परिस्थिति में वाहन को बदला जाता है तो 24 घंटे के अंदर अनुभाग अधिकारी को इसकी जानकारी सहित लिखित में उपलब्ध करनी होगी। लगाए जाने वाले वाहन का दस्तावेज एवं वाहन कितने समय तक लगाया जाना है उसका उचित कारण लिखित में प्रस्तुत करना होगा।

उक्त संशोधन प्रबंध संचालक महोदय के उपरांत जारी किये जाते है।


23.07.24
प्रभारी (विपणन)